07/03/2017 पक्षकारान् द्वारा मय अधिवक्ता
उपस्थित होकर वाद विड्रो
करने का आवेदन प्रस्तुत
करने पर पत्रावली सिगे से
प्रस्तुत हुई। वादी ने निवेदन
किया कि हम पक्षकारान् में
राजीनामा हो जाने से प्रकरण
चलाना नहीं चाहते है तथा
विड्रो करना चाहते है। वादी
की पहचान वकील श्री आदित्य
राजा एवं प्रतिवादीगण की पहचान
वकील श्री मदनलाल जैन ने
की। अतः वाद विड्रो करते हुए
खा.प. [illegible] किया जाता है
तथा [illegible] पर
कार्यवाही [illegible] होकर
पत्रावली निर्णीत में सुमार
नम्बर से जमा हो।

गुलाबचन्द
पहचान की

नारायण

नि. कमला [illegible]

नि. कोरी [illegible]

2/3/17

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:47:57 IST
Reason: SelfAttested